अ.शा.परिपत्र संख्या-डीजी- 72/2013

देव राज नागर
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनॉकः दिसम्बर 21, 2013

प्रिय साथियों

पुलिस एक अनुशासित बल है तथा इसकी कार्यप्रणाली अन्य विभागों से अलग है। पुलिस का कार्य जनता की सुरक्षा करना एवं समाज में शान्ति बनाए रखना है। एक अनुशासित बल होने के कारण अनुशासन बनाए रखने हेतु पुलिस विभाग में सेवा सम्बन्धी नियम सख्त होने से अधीनस्थ कर्मियों के प्रति अन्य विभागों की अपेक्षा दण्डात्मक कार्यवाही अधिक होती है। कुछ मामलों में ऐसा देखने में आया है कि अधीनस्थ कर्मियों के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर आरोपों की गहनता से सत्यता की जांच किए बिना एकतरफा कार्यवाही करते हुए दण्डित किया गया है। यह भी देखने में आया है कि जांचकर्ता अधिकारी भी इस प्रकार की मन्शा बना लेते हैं कि यदि उन्हें कोई जांच सौंपी गई है तो उसमें सम्बंधित कर्मी को दोषी ही ठहराया जाना है। प्रभारी जनपद भी कार्य की अधिकता के कारण या अन्य व्यस्तताओं के कारण जांच आख्या की संस्तुति के आधार पर सरसरी तौर पर एकतरफा कार्यवाही करते हुए दण्डित कर देते हैं। कुछ प्रकरणों में यह भी पाया गया है कि अपील के बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विवेकपूर्ण तरीके से विचार किए बिना ही आदेश पारित किए गए हैं। परिणामस्वरूप अधीनस्थ कर्मियों के मन में यह भावना बन जाती है कि अधिकारी उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। फलस्वरूप हमारे अधीनस्थ कर्मी अन्य सूत्रों से अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं एवं कुछ कर्मी ऐसे एकपक्षीय दण्डादेशों के विरूद्ध एवं सेवा सम्बन्धी लाभ प्राप्त करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय आदि में रिट याचिकायें योजित करते हैं। यह तथ्य हमारे और अधीनस्थों के बीच संवादहीनता की खाई को उजागर करते हैं। कुछ ऐसी घटनायें प्रकाश में आयी हैं, जिन्हें देखकर यह आभास होता है कि यदि हम अपने अधीनस्थों की व्यक्तिगत, पारिवारिक अथवा सेवा सम्बन्धी समस्याओं के प्रति सक्रिय(Proactive) होकर कार्यवाही करते एवं उनसे सीधा संवाद बनाए रखते तो एक ओर जहां ऐसी घटनायें घटित न होती वहीं दूसरी ओर हम एक सुदृढ़ पुलिस परिवार बनाने में अवश्य कामयाब होते। हमें अधीनस्थों में इतना विश्वास पैदा करना चाहिए कि उन्हें यह आभास हो जाय कि यदि उनके द्वारा कोई समस्या अपने अधिकारियों के समक्ष रखी जाती है तो उसका निष्पक्षता से समाधान अवश्य किया जायेगा ।

2. यह भी देखने में आया है कि पुलिस अधिकारी अपने पद के अहंकार में रहते हैं तथा अपने अधीनस्थों से असम्मानजनक भाषा में वार्ता करते हैं, जो पूर्णतया अनुचित है एवं अधीनस्थ कर्मियों के मनोबल पर गहरा आघात करता है। इससे आपस में दूरियां बढ़ती जायेंगी, फलस्वरूप अधीनस्थों में अपने अधिकारियों के प्रति विश्वास न होने से जहां एक ओर टीम भावना से कर्तव्यों का पालन नहीं होगा, वहीं दूसरी ओर अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। यदि हम अधीनस्थों के प्रति संवेदनहीन रहेंगे तो तनावग्रस्त होने के कारण उनकी संवेदनशीलता पर कुप्रभाव पड़ने से उनका भी व्यवहार जनता के प्रति असम्वेदनशील होना स्वाभाविक है और इससे पुलिस की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जबकि हमें चाहिए कि हम अपने अहंकार से ऊपर उठकर अपने पुलिस परिवार के अधीनस्थ सदस्यों के साथ आत्मीयता से सम्मानजनक व्यवहार करें, जिससे आपसी सम्बन्ध प्रगाढ़ बन सकें एवं उनमें अपने अधिकारियों के प्रति विश्वास बढ़े ।

3. पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर रिक्तियां होने से काम का बोझ निश्चित रूप से बढ़ा है। अन्य विभागों के लोग जब त्योहार मना रहे होते हैं, अपने घर पर परिवार के सदस्यों के साथ अवकाश का आनन्द उठाते हैं, तब पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी पर होते हैं, इस सत्यता के बाद भी यदि वरिष्ठ

अधिकारीगण उनको अनुमन्य अवकाश देने में कोताही करते हैं तो अधीनस्थों का मनोबल गिरना स्वाभाविक है। साथ ही जब वह अपनी कोई पारिवारिक समस्या लेकर अधिकारियों के पास पहुंचता है, तो एक पुलिस परिवार का सदस्य होने के बावजूद यदि वरिष्ठ अधिकारी आत्मीयता एवं रूचि नहींदिखाते है, तब अधीनस्थों का मनोबल टूटने और अधिकारियों के प्रति असन्तोष पैदा होने की सम्भावना बलवती होती है। जबकि अधीनस्थों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके अधिकारी मात्र उनसे अधिक से अधिक ड्यूटी ही लेना चाहते हैं, उसके सापेक्ष उनके कल्याण की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमें स्वार्थसिद्धि से ऊपर उठकर अधीनस्थों की भलाई के लिए भी अग्रसर होना चाहिए ।

4. विभागीय स्तर पर कई कल्याणकारी योजनायें चल रही हैं एवं शासन स्तर से भी कई सुविधायें कर्मचारियों को अनुमन्य हैं, किन्तु इस प्रकार की सुविधाओं/नियमों की जानकारी कर्मचारियों को प्रायः नहीं होती है एवं यदि नियमों के बारे में सूक्ष्म जानकारी है भी तो सुविधाओं का उपभोग करने की प्रशासनिक प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होता है तथा कागजात एकत्र करने के चक्कर में वे इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। आपस में संवाद न होने के कारण ही कर्मचारियों को यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि उनको कौन-कौन सी सुविधायें, कैसे प्राप्त हो सकती हैं और किन समस्याओं का समाधान जनपद, परिक्षेत्र, जोन अथवा मुख्यालय स्तर से हो सकता है। इसके लिए निम्न प्रकार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है -

- जनपदों में प्रभारी पुलिस अधीक्षक द्वारा नियमित रूप से अधीनस्थ कर्मचारियों का सम्मेलन आयोजित किया जाय, जिसमें उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया जाय। साथ ही साथ इस सम्मेलन में उन्हें सम्पूर्ण प्रक्रिया से भी अवगत कराया जाय। उदाहरणार्थ चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि की प्रक्रिया बताई जाय। उन्हें यह भी अवगत कराया जाय कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सूचना एवं उनके लाभ प्राप्त करने सम्बन्धी प्रारूप उ0प्र0 पुलिस की वेब साइट uppolice.up.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।
- सम्मेलन में कर्मचारियों को उनकी ड्यूटियों का महत्व समझाया जाय, उनके कर्तव्यों के बारे में अवगत कराया जाय, समस्यायें सुनी जायं एवं उनका निराकरण कराया जाय, जिन समस्याओं का निराकरण जनपद स्तर पर नहीं हो सकता है, उनके निराकरण हेतु प्रकरण सम्बंधित अधिकारी को अग्रसारित किया जाय ।
- प्रत्येक सप्ताह में 02 दिन 25-30 कर्मचारियों को बुलाकर या स्वयं थाने पर जाकर उनका सम्मेलन करें, उन्हें उनकी कार्यकुशलता, दक्षता एवं अच्छे व्यवहार के लिए जागरूक करें तथा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करें। उनसे वार्ता कर उनकी पारिवारिक समस्याओं आदि के बारे में जानकारी करें तथा उनके निराकरण की दिशा में प्रयास करें अथवा उन्हें उचित मार्गदर्शन दें ।
- कतिपय कर्मियों को उन्हें प्रदत्त दण्ड अथवा अन्य कारणों से कुछ सेवा सम्बन्धी लाभ अनुमन्य नहीं होते हैं, किन्तु साथ के कर्मियों को प्रोन्नत वेतनमान/ए0सी0पी0 का लाभ समय से मिल जाने के कारण उनका वेतन अधिक होने से वे अनावश्यक परेशान होते हैं। इसके लिए उचित होगा कि पुलिस लाइन्स में सम्मेलन के समय अथवा थाने पर सम्मेलन के समय कर्मियों को भलीभांति समझा दिया जाय कि कितनी-कितनी सेवा वाले कर्मियों को कौन-कौन से लाभ अनुमन्य हैं, ताकि उन्हें सेवा सम्बंधी लाभों की स्वीकृति हेतु अनावश्यक इधर-उधर परेशान न होना पड़े ।
- पुलिस लाइन्स में समय-समय पर विशेषज्ञों को बुलाकर कर्मियों एवं उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के दृष्टिगत उनकी शिक्षा एवं विकास के सम्बन्ध में काउन्सिलिंग करायें, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग क्लासेज करायें एवं समय-समय पर अलग-अलग विषयों पर कार्यशालायें आयोजित करायें ।

- प्रत्येक शुक्रवार को परेड में स्वयं अवश्य उपस्थित हों एवं परेड के उपरान्त बलवा ड्रिल, सिक्योरिटी ड्रिल, टैक्टिस आदि की 01-01 क्लास चलाए जायं। इस प्रकार की क्लास के लिए पुलिस लाइन्स एवं अलग-अलग थानों से कर्मियों को बुलाया जाय। इससे अधीनस्थ कर्मियों के प्रशिक्षण का रिफ्रेशर भी हो जायेगा और आवश्यकतानुसार वे अपेक्षित कार्यवाही भी कर सकेंगे । यदि जनपद में आई.टी.आई./पी.टी.आई. की कमी है तो प्रशिक्षण मुख्यालय से उनकी पूर्ति करा ली जाय।
- एक माह के सी.ई.आर. के प्रशिक्षण के लिए एक नई समय सारणी निर्गत की गयी है। इनके प्रशिक्षण हेतु स्थानीय स्तर से वक्ताओं को आमंत्रित किया जा सकता है। प्रशिक्षण मद से उनको मानदेय दिये जाने का प्राविधान है। थाना स्तर पर भी इस प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किये जाये और उनका भुगतान भी इसी मद से किया जाय।
- अधीनस्थ कर्मियों को उनके परिवार के साथ नजदीकी पर्यटक स्थलों के भ्रमण एवं छोटे-छोटे पिकनिक के कार्यक्रम बनाएं। इस हेतु सरकारी वाहनों का नियमानुसार उपयोग किया जाय ।
- अधीनस्थ कर्मियों को अनुमन्य देयकों यथा-जी0पी0एफ0 की स्वीकृति, ए0सी0पी0 की स्वीकृति, एरियर, टी0ए0-डी0ए0 का भुगतान कराने एवं अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों में भी कार्यवाही समय से कराई जाय, इसके लिए कर्मियों को पुलिस कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। लापरवाही करने वाले लिपिकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाय।
- यदि कार्यालय में कोई कर्मी अधीनस्थ कर्मियों के अनुमन्य देयकों की स्वीकृति एवं भुगतान आदि की कार्यवाही में लापरवाही करता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही कराई जाय । आवश्यक होगा कि इस हेतु लिपिकों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर उन्हे इन नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाय। विशेष कर मृतक आश्रित में भर्ती हुए लिपिकों को इस प्रशिक्षण की अधिक आवश्यकता है।
- किसी प्रकरण में दोषी कर्मी के विरूद्ध कार्यवाही भी की जाय, किन्तु कोई शिकायत प्राप्त होने पर जांच के दौरान आरोपों की निष्पक्षता से जांच करते हुए सत्यता अवश्य देखी जाय, सरसरी तौर पर कार्यवाही न की जाय। ऐसा भी देखने में आया है कि पुलिस कर्मियों के विरूद्ध प्राप्त होने वाली कुछ गुमनाम अथवा छद्म नाम की शिकायतों में अप्रत्यक्ष रूप से उनके सहकर्मी ही शामिल होते हैं। इससे पुलिस कर्मी निर्दोष होते हुये भी एक अज्ञात भय से मानसिक रूप से परेशान रहता है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा भौतिक रूप से भी सत्यता की जानकारी कर समस्या का निराकरण कराया जाय ।
- साधारणतया गुमनाम/छद्मनाम शिकयतों की जॉच न की जाय जब तक की शिकायती प्रार्थना पत्र में कोई विशिष्ट आरोप अंकित न हो। इस प्रकार के शिकायती प्रार्थना पत्रों की जॉच से अधीनस्थों का अकारण ही मानसिक शोषण होता है।
- यदि पुलिस लाइन में नियमित रूप से अर्दली रूम किया जा रहा है तो साधारण गलतियों पर अधीनस्थों को सूक्ष्म दण्ड या सचेत कर अथवा उचित मार्ग दर्शन देकर सुधार करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। हर छोटे प्रकरण में पत्रावली खोल कर दण्डात्मक कार्यवाही करना उचित नही हैं।
- दण्डात्मक कार्यवाही के उपरान्त प्रस्तुत अपील अथवा रिवीजन पर विचारण के समय भी निष्पक्षता से विचार किया जाय एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्य यदि सत्य प्रतीत होते हैं, तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय। सरसरी तौर पर अपील एवं रिवीजन का निस्तारण न किया जाय ।

- प्रायः अधीनस्थ कर्मी विभागीय समस्याओं के अतिरिक्त अपनी निजी/पारिवारिक समस्या के कारण भी परेशान रहते हैं। राजकीय कार्यों आदि में व्यस्तता के कारण वे उसका निराकरण कराने में असमर्थ रहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई समस्या संज्ञान में आती है और जनपद/इकाई स्तर पर यदि उसका निराकरण सम्भव हो तो शीघ्र कराया जाय। यदि समस्या किसी अन्य विभाग अथवा कार्यालय से संबंधित है तो उसके निराकरण हेतु यथासम्भव नियमानुसार प्रयास किये जायें। यदि किसी समस्या का निराकरण इस मुख्यालय अथवा शासन स्तर से कराया जाना है, तो इस मुख्यालय को अग्रसारित किया जाय ।
- हमें अपने अधीनस्थों को केवल मातहत न समझा जाय, बल्कि स्वयं को परिवार का मुखिया एवं अधीनस्थों को परिवार का सदस्य मानते हुए उनसे पूरी आत्मीयता के साथ बातचीत की जाय। उनसे जब भी वार्ता का मौका मिले तो उनसे पूरी अन्तरंगता के साथ उनके परिवार के बारे में, बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य की योजनाओं आदि के बारे में बात की जाय तथा अपने अनुभवों एवं ज्ञान के अनुसार बच्चों के भविष्य के लिए उनका उचित मार्गदर्शन भी किया जाय ।

5. यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम अधीनस्थों के साथ संवादहीनता को समाप्त कर उनका विश्वास अर्जित कर स्वयं के प्रति आस्था उत्पन्न करें। आपको कर्मचारियों के कल्याण व समस्याओं के समाधान के प्रति जागरूक, संवेदनशील एवं सक्रिय होकर कार्य करना चाहिए। सम्भवतः आपके और अधीनस्थ कर्मियों के बीच पद की दूरी के कारण वातावरण संवादहीनता का हो जाता है। हमें ऐसा माहौल तैयार करने की आवश्यकता है कि अधीनस्थ कर्मियों में डर एवं झिझक न रहे वे अपनी बात आपके समक्ष सम्मेलन आदि में बेझिझक, किन्तु अनुशासित तरीके से प्रस्तुत कर सकें। चूंकि अधिकांश पुलिस कर्मियों का परिवार उनसे दूर रहता है, वे पारिवारिक अथवा अन्य समस्याओं के कारण तनाव में रहते हैं, इसलिए उन्हें आपसे अपनापन महसूस हो, इस बात की बहुत अधिक आवश्यकता है। जब भी निरीक्षण अथवा भ्रमण पर जायें तो वहां मौजूद कर्मचारियों से मिलकर उनसे सीधा संवाद स्थापित करें। उनके द्वारा यदि कोई समस्या बतायी जाती है, तो उसके निराकरण हेतु हर सम्भव प्रयास करें अथवा उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। यदि आप द्वारा कर्मचारियों के सम्मुख उनके कल्याण एवं समस्याओं के प्रति सम्वेदनशील होने और अनुशासन के प्रति पूर्ण सजग होने का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है तो आपके प्रति भी अधीनस्थों में विश्वास उत्पन्न होगा और इसके सकारात्मक परिणाम भी स्वतः दिखाई देंगे।

6. अभी हाल ही में बहुत बड़ी संख्या में आरक्षियों की भर्ती हुई है और उनकी प्रदेश के सभी थानों पर नियुक्ति होने से अब ड्यूटियों हेतु जनशक्ति की कमी काफी हद तक दूर हो गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ कर्मचारियों को उन्हें अनुमन्य आकस्मिक अवकाश एवं उपार्जित अवकाश उनकी आवश्यकता के अनुरूप ड्यूटियों एवं जनशक्ति की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए अवश्य स्वीकृत किया जाय, ताकि वे अपने पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें, इससे वे तनावमुक्त व प्रसन्नचित्त होकर पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे ।

7. मेरा यह मत है कि यदि आप अधीनस्थों के साथ संवाद कायम करेंगे तो निश्चित ही उनमें अपनी बात कहने का साहस बढ़ेगा, इससे जहां एक ओर वे अपनी समस्यायें आपको बताकर उनका निराकरण पा सकेंगे, वहीं दूसरी ओर उनका आपके प्रति विश्वास बढ़ने से वे आप द्वारा उन्हें सौंपी गई ड्यूटी और अच्छी तरह से पूर्ण मनोयोग एवं निष्ठा से सम्पादित करेंगे, जिससे अधीनस्थों की व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि होगी, कार्यक्षमता में गुणात्मक सुधार होगा और पुलिस विभाग की छवि भी सुधरेगी ।

8. इस मुख्यालय स्तर से जिन समस्याओं का समाधान किया जाना है, उसके लिए अपर पुलिस अधीक्षक/जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद स्तर पर अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। इसी प्रकार जोन, परिक्षेत्र एवं जनपद स्तर

पर सम्बंधित अधिकारी स्वयं इस कार्य को देखेंगे। इसके लिए एक रजिस्टर तैयार कर लिया जाय, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं के आने से समाधान तक का विवरण दर्ज किया जायेगा। यह रजिस्टर प्रत्येक शुक्रवार को अपने पर्यवेक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ।

9. मुझे विश्वास है कि आप सभी उपरोक्त निर्देशों को पूर्ण मनोयोग से आत्मसात करेंगे तथा तदनुसार कार्यवाही करते हुए एक सुदृढ़ पुलिस परिवार बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे ।

भवदीय

21-12-13

(देवराज नागर)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स/रेलवेज, उ0प्र0।
समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र/रेलवेज, उ0प्र0।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद/रेलवेज उ0प्र0 ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. समस्त विभागाध्यक्ष पुलिस विभाग, उ0प्र0 ।
2. समस्त राजपत्रित अधिकारी, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
3. गार्ड फाईल पर रखने हेतु ।